

अगर बचानी है
अपनी जान
निम्न बातों का
रखना ध्यान

सैलून के लिए कोविड 19 सम्बंधित हिदायतें

जिला प्रशासन, कैथल द्वारा जारी हिदायतें

कोविड 19 के लक्षण दिखाने वाले
व्यक्ति को दुकान में मत आने दें

जिन ग्राहकों और कर्मचारी को
बुखार, सर्दी, खांसी और गले में दर्द
या इन्फ्लूएंजा जैसे लक्षण हों उन्हें
अन्दर नहीं आने दें



निम्नलिखित ग्राहकों का आना
वर्जित करें

जो ग्राहक कन्टेनमेंट जोन की सीमा
में रहते हैं

या

जिन ग्राहकों के हाथ पर होम
कवारनटीन की मोहर लगी हुई है



हर समय अपने आस पास कीटाणु रहित स्वच्छता का
ध्यान रखें

सभी सामान्य क्षेत्रों, फर्श, लिफ्ट,
लाउंज क्षेत्र, सीढ़ी और रेलिंग को
1% सोडियम हाइपोक्लोरोलिन घोल से
साफ करें
प्रत्येक उपकरण और कंघी को
प्रत्येक उपयोग के बाद सेनीटाईज
करें



सभी कर्मचारी व ग्राहक सेनीटाईजर का उपयोग करें

दुकान में प्रवेश के समय हैंड
सेनिटाइज़र उपलब्ध करवाएं

अपने कर्मचारी के हाथों को बाल
काटने, दाढ़ी आदि के बाद
सेनीटाईज करवाएं



दुकान में आने वाले सभी व्यक्तियों
का रिकार्ड रखें

दुकान में आने वाले सभी व्यक्तियों का
रिकार्ड जैसे पते और मोबाइल नंबर
पहचान सहित रखें



कर्मचारियों को कोविड 19 से बचाव के लिए
निम्नलिखित उपकरणों का उपयोग करना चाहिए

दुकान में काम करने वाले
कर्मचारी सिर के कवर, एप्रन
और दस्ताने के साथ सादे चश्मे
या ट्रिपल लेयर वाला सुरक्षित
मास्क का उपयोग करें



तेजधार वाले सामान को एकत्रित
करना

तेजधार वाले सामान जैसे ब्लेड,
डिस्पोजेबल रेज़र आदि शामिल हैं उन्हें
पंचर प्रूफ, 1% सोडियम
हाइपोक्लोराइट घोल के साथ रिसाव
प्रूफ सफेद कंटेनर में एकत्र करें



आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।

दुकान में काम करने वाले सभी
कर्मचारियों और ग्राहकों के
मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप
डाउनलोड होना चाहिए



दुकान के प्रवेश द्वार पर कोविड 19 से बचाव हेतु दिशा
निर्देश के पोस्टर लगवाएं

दुकान के प्रवेश द्वार पर
कोविड 19 से बचाव हेतु दिशा
निर्देश के पोस्टर लगवाएं जैसे
खांसी करने के तरीके,
सामाजिक दुरी और जरूरी
सलाह संबंधी दिशानिर्देश



3/4 भरा हुआ डिब्बा नगरपालिका
को सौंप दें